शीर्ष प्राथमिकता

परिपत्र संख्या– 04 सामा–1(5)/2020

प्रेषक,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त कार्यालयाध्यक्ष,
कारागार विभाग, उत्तर प्रदेश।

दिनांक 18 मार्च, 2020

विषयः– कारागारों में कोविड–2019 कोरोना वायरस के बचाव के उपायों के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन के पत्र संख्या–जी0आई–04/22–1–2020 –32/2020 दिनांक 16 मार्च 2020 द्वारा संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या–**No.V-17013/17/2020-PR** दिनांक 12.03.2020 की प्रति संलग्न करते हुए उत्तर प्रदेश की कारागारों में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोके जाने हेतु मुख्य रूप से निम्न दिशा–निर्देश दिये गये हैं:–

1– बंदियों की पेशी यथासम्भव वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से करायी जाये।

2– चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संपर्क स्थापित कर बंदियों/मुलाकातियों एवं कारागार में प्रवेश करने वाले बाहरी व्यक्तियों में कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की पहचान हेतु स्क्रीनिंग किट की व्यवस्था की जाये।

अतः शासन के पत्र संख्या–जी0आई–04/22–1–2020 –32/2020 दिनांक 16 मार्च 2019 एवं संलग्न प्राप्त संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या–**No.V-17013/17/2020-PR** दिनांक 12.03.2020 में दिये गये दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें साथ ही उचित होगा कि जनपद के जिलाधिकारी एवं मुख्य चिकित्साधिकारी से संपर्क स्थापित कर कारागारों में कोरोना वायरस से बचाव हेतु किये जाने वाले उपायो हेतु एक बैठक शीघ्र आयोजित कर ली जाये। जिससे किसी प्रकार के संक्रमण की रोकथाम हेतु समय से पूर्वोपाय किए जा सकें तथा संक्रमण की स्थिति में की जाने वाली कार्यवाही हेतु एस0ओ0पी0 तैयार की जा सके।

संलग्नक–यथोपरि।

18/3/20

(आनन्द कुमार)
पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

परिपत्र पृ0संख्या– 04 सामा–1(5)/2020 दिनांक: 17 मार्च 2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि बंदियों की पेशी के संबंध में सम्बन्धित अधिकारियों को यथोचित आदेश निर्गत करने का कष्ट करें।
2. समस्त जिला मजिस्ट्रेट को इस आशय के साथ प्रेषित कि बंदियों को संक्रमण से बचाव के संबंध में मुख्य चिकित्साधिकारी के साथ बैठक कर एस0ओ0पी0 तैयार कराने तथा आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. विशेष सचिव, कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(वी0के0 जैन)
अपर महानिरीक्षक(प्र0/वि0)
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।